संख्या-244/2020/649ई /23-11-2020-यू0ओ0-89/18

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद मैनपुरी के 01 चालू कार्य के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-4183बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 07-07-2020 एवं पत्र संख्या-4630बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 15-07-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्ग के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था योजना से त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद मैनपुरी 01 चालू कार्य पर अधोलिखित विवरण के अनुसार कुल रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन /व्यय	अवमुक्त धनराशि		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0ख0 मैनपुरी	मैनपुरी-ओछा रोड से देवी रोड तक (मैनपुर-ज्योति अन्य जिला मार्ग किमी0 1 एवं देवी रोड बाईपास अन्य जिला मार्ग) मार्गका 04 लेन तक चौडीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	3569.08	808.82	78.79	21.21	**100.00**

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(4) उक्त कार्य पर माह जुलाई में होने वाला व्यय लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-755/23-10-2020-10(ब)/2016टीसी दिनांक 08-07-2020 द्वारा प्रदत्त सी0सी0एल0 की धनराशि रू0 1000.00 करोड़ की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-755/23-10-2020-10(ब)/2016टीसी दिनांक 08-07-2020 में प्रदत्त अनापत्ति के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 244/2020/649ई(1) /23-11-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in